خواجہ معین الدین چشتی اردو،عربی-فارسی یونیورسٹی، لکھنؤ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow

दिनांक 14–11–2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे आहूत विद्यापरिषद की 5वीं बैठक की उपस्थिति।

क्रम	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, कुलपति / अध्यक्ष	
2.	प्रो0 मो0 सग़ीर बेग अफ़राहीम, उर्दू विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़, सदस्य	—
3.	प्रो0 मो0 शफ़ीक अहमद, कशमीर विश्वविद्यालय, कशमीर, सदस्य	
4.	प्रो0 सैय्यद अफ़ज़ल मुर्तज़ा रिज़वी, कम्प्यूटर साइंस विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, सदस्य	—
5.	प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, सदस्य	
6.	प्रो0 विजय वीर सिंह, निदेशक, नीति आयोग पीठ, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, सदस्य	—
7.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग, सदस्य	Masood Alam
8.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग, सदस्य	
9.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, सदस्य	
10.	डॉ0 एहतेशाम अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, सदस्य	
11.	डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर , विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, सदस्य	
12.	डॉ0 चन्दना डे, एसोसिएट प्रोफेसर , विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सदस्य	
13.	डॉ0 फखरे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग, सदस्य	

14.	डॉ0 मुशीर अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर , व्यवसाय प्रबन्ध विभाग, सदस्य	
15.	डॉ0 अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी विभाग, सदस्य	
16.	डॉ0 प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, सदस्य	
17.	डॉ0 मजहर खालिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस विभाग, सदस्य	
18.	डॉ0 नीरज शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, सदस्य	
19.	डॉ0 पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0, सदस्य	
20.	श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0, सदस्य	
21.	श्री महेन्द्र सिंह भट्ट, वित्त अधिकारी, विशिष्ट आमंत्रित	
22.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव– सदस्य सचिव	

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्यापरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 14–11–2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे का कार्यवृत्त।

उपस्थित :

1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मो0 शफ़ीक अहमद, कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर।	वाह्य सदस्य
3.	प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	वाह्य सदस्य
4.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	आन्तरिक सदस्य
5.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	आन्तरिक सदस्य
6.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	आन्तरिक सदस्य
7.	डॉ0 एहतेशाम अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग।	आन्तरिक सदस्य
8.	डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।	आन्तरिक सदस्य
9.	डॉ0 चन्दना डे, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग।	आन्तरिक सदस्य
10.	डॉ0 फखरे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू विभाग।	आन्तरिक सदस्य
11.	डॉ0 मुशीर अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	आन्तरिक सदस्य
12.	डॉ0 अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी विभाग।	आन्तरिक सदस्य
13.	डॉ0 प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग।	आन्तरिक सदस्य
14.	डॉ0 मजहर खालिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस विभाग।	आन्तरिक सदस्य
15.	डॉ0 नीरज शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग।	आन्तरिक सदस्य
16.	डॉ0 पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0 / एस0टी0।	आन्तरिक सदस्य
17.	श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0 / एस0टी0।	आन्तरिक सदस्य
18.	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
19.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा विद्यापरिषद के माननीय अध्यक्ष / माननीय कुलपति व सभी सम्मानित सदस्यों व विशिष्ट आमंत्रित के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय के वित्त

अधिकारी का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार विद्यापरिषद के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

विद्यापरिषद की चौथी बैठक दिनांक 27–08–2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने दिनांक 27–08–2018 को सम्पन्न हुई अपनी चौथी बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की–

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27–08–2018 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–3 में विधि एवं बी0टेक0 पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने **के स्थान पर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के अध्याय–7 (संकाय) के बिन्दु संख्या–7.01(ड.) के क्रम में विश्वविद्यालय में विधि–संकाय एवं अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय** संचालित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। **विधि–संकाय में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं यू0जी0सी0 के नियम व उ0प्र0 के शासनादेश** लागू होंगे। इसी प्रकार **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में ए0आई0सी0टी0ई0 के नियम व उ0प्र0 के शासनादेश** लागू होंगे।

बिन्दु संख्या–2

विश्वविद्यालय में भारतीय और विदेशी भाषाओं के प्रस्ताव को कार्यपरिषद से अनुमोदन कराकर शासन को प्रस्ताव भेजने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने विश्वविद्यालय में नई भारतीय और नई विदेशी भाषाओं के संचालन के प्रस्ताव को सहर्ष अनुमोदित किया तथा शासन को तद्‌नुसार प्रस्ताव भेजे जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि **नई भारतीय भाषाओं** के अन्तर्गत **संस्कृत भाषा** तथा **पाली व प्राकृत भाषा** और **नई विदेशी भाषाओं** में **फ्रेन्च, जर्मन, स्पैनिश, मेनडारिन (चाईनीज), जापानी** एवं **हिब्रू** व **टर्किस** से सम्बन्धित

विभागों के गठन एवं पाठ्यक्रम संचालन की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन को विश्वविद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन का प्रस्ताव दिनांक 13–06–2018 को भेजा जा चुका है, परन्तु शासन से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में विद्यापरिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही / निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–3

विश्वविद्यालय में शोध कार्य / पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने तथा शासन के निर्देशानुसार अध्यादेश को लागू करने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने विश्वविद्यालय में शोध कार्य / पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने तथा शासन के पत्र संख्या–266 / सत्तर–1–2018–16(74) / 2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों में एम0फिल0 / पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0 / पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को यथावत् लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से विचार–विमर्श के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी। उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय का पी0एच–डी0 अध्यादेश सर्वसम्मति से पारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विद्यापरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में शोध कार्य / पी0एच–डी0 की कुल सीटों में 50 प्रतिशत सीट पर **प्रवेश–परीक्षा** कराकर, प्रवेश लिये जाने पर सहमति प्रदान की। साथ ही **प्रवेश–परीक्षा में 90 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा (50 प्रतिशत शोध पद्धति तथा 50 प्रतिशत विभागीय विषय के प्रश्न) होंगे** हेतु तथा **10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार** हेतु निर्धारित किये गये। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम दो विषय में ही (अन्तः विषय सहित inter displinary) प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार सहित 50 प्रतिशत अंक अर्ह अंक होंगे। प्रवेश व प्रवेश परीक्षा में शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय में जिन स्थायी शिक्षकों का सेवाकाल 05 वर्ष पूर्ण हो चुका है। वे भी निर्धारित मानकों व नियमानुसार शोध कार्य / पी0एच–डी0 करने के लिए अर्ह

होंगे। इस सन्दर्भ में विद्यापरिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही/निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–4

शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–683/ सत्तर–1–2015–16(74)/2011 दिनांक 28–08–2015 पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–5

सी0बी0सी0एस0 प्रणाली परास्नातक स्तर पर प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने सी0बी0सी0एस0 प्रणाली परास्नातक स्तर पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारम्भ किये जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इससे सम्बन्धित अन्य सभी कार्य ससमय पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/विषय प्रभारियों से इस सन्दर्भ में पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या तैयार करने तथा बोर्ड आफ स्टडीज़ की बैठक आहूत कर पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या पास कराकर शीघ्र कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–6

अन्य बिन्दु– माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या–6.1

सी0बी0सी0एस0 के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने स्नातक स्तर पर चल रहे सी0बी0सी0एस0 के अनुसार प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–6.2

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू010.00 करोड़ से अब तक व्यय हुई धनराशि रू08.64 करोड़ से कराये जाने वाले कार्यों पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय एवं विद्यापरिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

15/11/18

(शत्रोहन वैश्य)
कुल सचिव/सदस्य सचिव।

15/11/18

(प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
कुलपति/अध्यक्ष, विद्यापरिषद